सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

12 CHAITRA 1948 (S)

No. 123 RANCHI THURSDAY 2nd APRIL,20 26

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

2nd APRIL,**20** 26

Notification No.- 18/2025 – State Tax

S.O. No. 53, Dated 30th March, 2026 :-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall be deemed to be effective from 1st day of November, 2025.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely: -

"9A. Grant of registration electronically. - Notwithstanding anything contained in rule 9, any person who has applied for registration under rule 8 or rule 12 or rule 17, shall, upon identification on the common portal based on data analysis and risk parameters, be granted registration electronically by the common portal, within three working days from the date of submission of application.".

3. In the said rules, in sub-rule (1) of rule 10, after the words and figure "under rule 9,", the words, letters and figures "rule 9A and rule 14A," shall be inserted.

4. In the said rules, after rule 14, the following rule shall be inserted, namely: -

"**14A. Option for taxpayers having monthly output tax liability below threshold limit. –**

(1) Any person who has made application for registration under rule 8 and who determines that his total output tax liability on supply of goods or services or both made to registered persons on account of central tax and State tax or Union territory tax and integrated tax and compensation cess, does not exceed two lakh and fifty thousand rupees per month, shall have an option to get registration electronically, in accordance with the provisions of this rule.

(2) Any person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall not be eligible for grant of registration in terms of this rule.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 11, a person registered under this rule in a State or Union territory shall not be eligible to obtain another registration in the same State or Union territory under this rule against the same Permanent Account Number.

(4) Upon successful authentication of Aadhar number, the applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration electronically by the common portal, within three working days from the date of submission of application.

(5) The registered person who intends to withdraw from the option availed under sub-rule (1), shall file an application, in FORM GST REG-32, duly signed or verified through electronic verification code on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that the registered person shall not be allowed to file such application unless he has furnished, -

(a) returns for a period of minimum three months, where such application is filed before 1st April, 2026;

(b) returns for a period of minimum one tax period, where such application is filed on or after 1st April, 2026; and

(c) all the returns due for the period from the effective date of registration till the date of application for withdrawal:

Provided further that the registered person shall be allowed to file such application where no proceedings under section 29 have been initiated against such registered person.

(6) Where there is any change in particulars furnished in FORM GST REG-01 by the person who has been granted registration under this rule, the said registered person shall get the particulars amended under rule 19 before filing an application for withdrawal under sub-rule (5).

(7) Based on data analysis and risk parameters on the common portal, the provisions of sub-rule (4A) of rule 8 relating to authentication of Aadhaar number or biometric-based Aadhaar authentication, taking photograph of the applicant along with verification of original copy of documents uploaded along with registration application in FORM GST REG-01, shall, so

far as may be, apply to application for withdrawal filed under sub-rule (5).

(8) The provisions of sub-rules (5) and (6) of rule 8 relating to issuance of acknowledgment, shall, *mutatis mutandis*, apply to the application filed under sub-rule (5).

(9) The application filed for withdrawal under sub-rule (5), shall be verified in accordance with the provisions of rule 9.

(10) Upon verification under sub-rule (9), the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-33 allowing the application for withdrawal from the option availed under sub-rule (1) or order for rejection of application in FORM GST REG-05, within a period specified under rule 9, as the case may be, which shall be made available to the registered person on the common portal.

(11) The registered person who has received an order issued under sub-rule (10) allowing withdrawal shall be able to furnish the details of output tax liability on supply of goods or services or both made to registered persons, exceeding the output tax liability as referred to in sub-rule (1), from the first day of succeeding month in which the said order has been issued.

(12) A registered person to whom an order under sub-rule (10) has been issued, shall not amend the details furnished in respect of output tax liability so as to exceed the limit of the output tax liability specified in sub-rule (1) for the period prior to the first day of succeeding month in which the said order has been issued.

(13) Where proceedings for cancellation of registration have been initiated by the proper officer after the filing of withdrawal application and the said proceedings are pending, the withdrawal application under sub-rule (5) shall be rejected by the proper officer and the provisions in relation to approval of application on deemed basis under sub-rule (5) of rule 9, shall not be applicable in such case.”.

5. In the said rules, in FORM GST REG-01, —

(a) after the word, letters and figures “FORM GST REG-01” and before the words “Application for Registration”, for the brackets, words and figures “*[See rule 8(1)]*”, the brackets, words, figures and letter “*[See rules 8(1) and 14A]*” shall be substituted;

(b) in Part-B, in the table, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers shall be inserted, namely: -

“4.1	Option for registration under rule 14A	YES ☐ NO ☐
4.1.1	Declaration by person opting for registration under rule 14A ☐ I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to register under rule 14A.”; and	

(c) under the heading ‘Instructions for submission of Application for Registration’, after serial number 8, the following serial number shall be inserted, namely: -

“8A. Any person opting for registration under rule 14A shall undergo OTP based authentication of Aadhaar number.”.

6. In the said rules, in FORM GST REG-02, after the word, letters and figures "FORM GST REG-02", for the brackets, words and figures "*[See rule 8(5)]*", the brackets, words, figures and letter "*[See rules 8(5) and 14A]*" shall be substituted.

7. In the said rules, for the FORM GST REG-03, the following Form shall be substituted, namely: —

"FORM GST REG-03

[See rules 9(2), 19(2) and 14A]

Reference Number: Date–

To
Name of the Applicant:
Address:
GSTIN/GSTP ID (if available):
Application Reference No. (ARN): Date:

Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents relating to Application for <<Registration/Amendment/Cancellation/Withdrawal>>

This is with reference to your <<registration/amendment/cancellation/withdrawal >> application filed vide ARN <> Dated –DD/MM/YYYY. The Department has examined your application and is not satisfied with it for the following reasons:

1.

2.

3.

…

□ You are directed to submit your reply by......... (DD/MM/YYYY)

□ *You are hereby directed to appear before the undersigned on ……… (DD/MM/YYYY) at ……. (HH:MM)

If no response is received by the stipulated date or if proceedings under section 29 is initiated against you, your application is liable for rejection.

Please note that no further notice / reminder will be issued in this matter.

Signature
Name of the Proper Officer:
Designation:
Jurisdiction:

* Not applicable for New Registration Application and Withdrawal.”.

8. In the said rules, for the FORM GST REG-04, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM GST REG-04

[See rules 9(2), 19(3) and 14A]

Clarification/additional information/document for <<Registration/Amendment/Cancellation/Withdrawal >>

1.	Notice details	Reference No.		Date	
2.	Application details	Reference No.		Date	
3.	GSTIN/GSTP ID, if applicable				
4.	Name of Business (Legal)				
5.	Trade name, if any				
6.	Address				

7.	Whether any modification in the application for registration or fields is required.-		Yes ☐ No ☐ (Tick one)
8.	Additional Information		
9.	List of Documents uploaded		
10.	Verification I ________________________________hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of Authorised Signatory Name Designation/Status: Place: Date:		

Note: -

1. For new registration, original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.
2. For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option "Yes" is selected in item 7.
3. For withdrawal from option availed under rule 14A, item 7 will be disabled.".

9. In the said rules, for the FORM GST REG-05, the following Form shall be substituted, namely: —

"FORM GST REG-05

[See rules 9(4), 19(4), 23(2)(b) and 14A]

Reference Number: Date–

To

Name of the Applicant

Address -

GSTIN/ GSTP ID (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration / Amendment / Cancellation/ Withdrawal >

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated----. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:

1.
2.
3.

…Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act. Or

You have not replied to the notice issued vide reference no. …….. dated.......within the time specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction”.

10. In the said rules, after the FORM GST REG-31, the following Form shall be inserted, namely: —

“FORM GST REG-32

[See rule 14A (5)]

Application for Withdrawal

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of business	
5. Option for registration under rule 14A	
(i) Yes	☐
(ii) No	☐
6. Aadhaar Authentication	
(i) Primary Authorized Signatory (auto)	
(ii) Promoter/Partner (auto)	
7. Reason for Withdrawal	(i) Output tax liability in respect of supply made to registered person exceeds two lakh fifty thousand rupees per month. (ii) Other -Please specify

8. Verification
I_____hereby solemnly affirm and declare that I want to withdraw from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A and I understand that the provisions of sub-rule (4A), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 8 and provisions of rule 9 relating to verification of the application and physical verification of places of business and corresponding procedures and time period shall apply to my withdrawal application. Signature of Authorised Signatory Name Designation / Status Place Date

Instructions for submission of application for withdrawal

1. In 'Option for registration under rule 14A' field, option YES will be disabled on common portal.
2. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
3. Aadhaar Authentication of Primary Authorised Signatory and one selected Promoter or Partner is mandatory.
4. Before applying for withdrawal from the option availed under rule 14A, all the pending returns till the date of application shall be furnished. It is mandatory to furnish returns for a period of minimum three months, where such application has been filed before 1st April, 2026, and a minimum one tax period, where such application is filed on or after 1st April, 2026.
5. Please ensure that no amendment application is pending at the time of filing of FORM GST REG-32.
6. Once FORM GST REG-32 is filed, no amendment application will be allowed to be filed till the disposal of application under FORM GST REG-32.
7. ARN will be generated only after successful OTP based authentication of Aadhaar number or completion of the process of biometric based Aadhar authentication along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01.
8. Please note that filing of cancellation application will not be allowed once FORM GST REG-32 is filed till the disposal of application.
9. In case the proceedings under section 29 have been initiated, application for withdrawal in FORM GST REG-32 will not be allowed to be filed.".

11. In the said rules, after the FORM GST REG-32, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM GST REG-33

[See rule 14A (10)]

Reference Number - <<>> Date–DD/MM/YYYY

To
(Name)
(Address)
Registration Number (GSTIN)

Application Reference No. (ARN) Dated – DD/MM/YYYY

Order of withdrawal from option availed under sub-rule (1) of rule 14A

This has reference to your application number------ dated submitted under sub- rule (6) of rule 14 A regarding withdrawal from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A. Your application has been examined and the same has been accepted under the provisions of sub-rule (11) of rule 14Act. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

Date:
Place:".

[File. No. Va.Kar/GST/02/2025]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, S.O. No. 28- State Tax, dated the 20th June, 2017, published and were last amended, vide notification No. 13/2025–State Tax, dated the 26th September, 2025, vide S.O. No. 48, dated the 26th September, 2025.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 18/2025- राज्य कर

एस**.** ओ**.** सं. **53,** दिनांक **30 मार्च, 2026** :- झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिननयम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में और संशोधन करने के सलए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) ये नियमावली, 1 नवंबर, 2025 से लागू मानी जाऐगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसमें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9क. इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृती. - नियम 9 में अंतर्विष्ट के सिवाए, जिस भी व्यक्ति ने नियम 8 या नियम 12 या नियम 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उसे डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचान होने पर, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के अंदर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 10 के उपनियम (1) में, शब्दों और अंक "नियम 9 के अन्तर्गत," शब्दों के पश्चात, शब्दों, अंकों और अक्षरों "नियम 9क और नियम 14क, " को अंतःस्थापित किया जायेगा ।

4. उक्त नियमों में, नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14क. उन करदाताओं के लिए विकल्प जिनका निर्गम कर दायित्व तय सीमा से कम है.

(1) कोई व्यक्ति जिसने नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और जो यह निर्धारित करता है कि उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या

सेवाओं या दोनों पर उसका केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर और उपकर का कुल निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, उसे इस नियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) (3) नियम 11 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसी स्थायी लेखा संखायंक से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन दूसरा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा ।

(4) आधार संख्या के सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण चाहता है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32 में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित या विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन फाइल करना होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं जाएगी जब तक कि उसने प्रस्तुत न किया हो,

(क) कम से कम तीन माह की अवधी के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो;

(ख) कम से कम एक कर अवधी के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से लेकर प्रत्याह्रण के लिए आवेदन की तारीख तक के समय के सभी बकाया रिटर्न:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के खिलाफ धारा 29 के तहत कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

(6) जहां इस नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए आवेदन फाइल करने से पहले नियम 19 के अधीन विवरण को संशोधित करवाएगा।

(7) सामान्य पोर्टल पर डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, आधार संख्या या बायोमेट्रिक - आधारित आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित नियम 8 के उप-नियम (4क) के प्रावधान, आवेदक की तस्वीर लेने के साथ-साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन, जहां तक हो सके, उप-नियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(8) नियम 8 के उपनियम (5) और उपनियम (6) के अभिस्वीकृति से सम्बंधित प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उपनियम (5) के अंतर्गत फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(9) उपनियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन का सत्यापन नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(10) उप-नियम (9) के अंतर्गत सत्यापन के पश्चात, उचित अधिकारी उप नियम (1) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी - 33 में आदेश या नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -05 में आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, यथास्थिति, जारी करेगा, जोकि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप-नियम (10) के अधीन प्रत्याह्रण की अनुमति देने वाला आदेश प्राप्त हुआ है, वह उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या सेवाओं या दोनों पर निर्गम कर दायित्व, जोकि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व से अधिक है, का विवरण प्रस्तुत करने में, उस महीने के पहले दिन जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया है, से सक्षम होगा।

(12) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप-नियम (10) के अधीन आदेश जारी किया गया है, निर्गम कर दायित्व के संबंध में दिए गए ब्यौरे में संशोधन नहीं करेगा जिससे कि जिस माह में उक्त आदेश जारी किया गया है उससे अगले माह के प्रथम दिन से पूर्व की अवधि के लिए निर्गम कर दायित्व उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व की सीमा से अधिक हो जाए।

(13) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृण के आवेदन को फाइल करने के बाद उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है और उक्त कार्यवाही लंबित है, उप-नियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किये गए प्रत्याहृण आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा और मान्य आधार पर आवेदन के अनुमोदन से संबंधित नियम 9 के उप- नियम (5) के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे।"

5. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में,

(क) "प्ररूप जीएसटी आरईजी -01" शब्द, अक्षरों और अंकों के पश्चात् और "रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन" शब्दों से पूर्व, "[नियम 8 (1) देखें]" कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर " [नियम 8 (1) और 14क देखें]" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) भाग-ख में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	हाँ ☐ ☐ नहीं
4.1.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा ☐ मैं घोषणा करता / करती हूँ कि पूर्वोक्त कारबार नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प के लिए अधिनियम या नियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करेगा । "; और	

(ग) "रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"8क. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से करना होगा । "

6. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -02 में, "प्ररूप जीएसटी आरईजी -02" शब्द, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, " [नियम 8 (5) देखें]" कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 8 (5) और 14क देखें] " कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी -03

[नियम 9(2), 19 (2) और 14क देखें]

निदेश संख्या तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

जीएसटीआइएन / जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),

आवेदन निदेश संख्या

अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन / रद्दीकरण / प्रत्याहृण के आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण /संशोधन/रद्दीकरण/ प्रत्याहृण के लिए आवेदन के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है :

1.

2.

3.

☐ आप तारीख .... तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

☐ * आप तारीख .... को .... समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक कोई जवाब नहीं आता है या आपके विरुद्ध धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि इस मामले में कोई और नोटिस / स्मरण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम
पद नाम
अधिकारिता

* नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन और प्रत्याहृण के लिए लागू नहीं ।”

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी -04
[नियम 9(2), 19(3) और 14क देखें]
रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण / प्रत्याहृण के लिए स्पष्टीकरण / अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन/ जीएसटीपी आइडी यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हाँ ☐ नहीं ☐ (एक पर निशान लगाएँ)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	सत्यापन				
	मैं ....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम / प्रास्थिति स्थान: तारीख:				

टिप्पण: -

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।
2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए आशायित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।
3. नियम 14ए के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण के लिए मद निष्क्रिय 7 होगा।"

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -05 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप जीएसटी आरईजी -05

[नियम 9(4), 19(4), 23(2) (ख) और 14क देखें]

निदेश संख्या

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
जीएसटीआईएन / जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण / प्रत्याहृण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जवाब के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके जवाब की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है:
1.
2.
3.
....इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।
या
आपके निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जवाब उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया गया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
अधिकारिता"

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 31 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32
[नियम 14क (5) देखें]

प्रत्याहृण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई है	
4. कारबार के मूल स्थान का पता	
5. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	
(i) हाँ	☐
(ii) नहीं	☐
6. आधार सत्यापन	
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	
(ii) प्रमोटर / भागीदार (स्वतः)	
7. प्रत्याहृण का कारण	(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय से संबंधित निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक है। (ii) अन्य — कृपया निर्दिष्ट करें

8. सत्यापन

मैं .... सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं नियम 14क के उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण करना चाहता/ चाहती हूँ और मैं समझता / समझती हूँ कि नियम 8 के उप-नियम (4क), उप-नियम (5) और उप-नियम (6) तथा नियम 9 में दिए गए आवेदन के सत्यापन और व्यवसायिक स्थलों के भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रावधान और संबंधित प्रक्रियाएँ तथा समय अवधि मेरे प्रत्याहृण के लिए आवेदन पर लागू होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम
पद नाम / प्रास्थिति

स्थान
तारीख

प्रत्याहृण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1.

'नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प' फ़ील्ड में, सामान्य पोर्टल पर हाँ का विकल्प निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

2. स्थायी लेखा संख्यांक को आयकर डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा।

3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी और एक चयनित प्रमोटर या भागीदार का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।"

4. नियम 14क के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण के लिए आवेदन करने से पहले,

आवेदन की तारीख तक सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्याहृण के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम तीन माह की अवधी के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो, और कम से कम एक कर अवधी के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो, रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32 फाइल करने के समय कोई संशोधन आवेदन लंबित न हो।

6. एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32 फाइल करने के बाद, किसी भी संशोधन आवेदन को अनुमति, प्ररूप जीएसटी आरईजी -32 के अधीन आवेदन के निपटारे तक, नहीं दी जाएगी।

7. एआरएन केवल तभी जनरेट किया जाएगा जब आधार नंबर का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो या बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो, साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन भी हो गया हो ।"

8. कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32 फाइल करने के बाद आवेदन के निपटारे तक रद्दीकरण आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।

9. यदि धारा 29 के अधीन कार्यवाही का आरंभ किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी - 32 में प्रत्याहृण का आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी । "

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी -32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी - 33

[नियम 14क (10) देखें]

निदेश संख्या तारीख

सेवा में,

नाम,

पता,

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआइएन),

एआरएन तारीख

नियम 14 क के उपनियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण का आदेश

इसका संदर्भ आपके आवेदन संख्या- - तारीख - से है, जो नियम 14क के उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण के संबंध में नियम 14क के उप-नियम (6) के अधीन प्रस्तुत किया गया था। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है गया और इसे नियम 14क के उप-नियम (11) के प्रावधानों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता

तारीख :

स्थान :”

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2025]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पण : मूल नियमावली झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना एस. ओ. सं. 28-राज्य कर, दिनांक 20 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 13/2025 - राज्य कर, दिनांक 26 सितंबर, 2025 के द्वारा संख्या एस. ओ. सं. 48, दिनांक 26 सितांबेर, 2025 में किया गया था।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 123-- 50.

सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

12 CHAITRA 1948 (S)

No. 124

RANCHI THURSDAY 2nd APRIL,20 26

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

2nd April,20 26

Notification No.- 19/2025 – State Tax

S.O. No. 54, Dated 30th March, 2026 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 49/2023-State Tax, dated the 29th February, 2024 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 53, dated the 29th February, 2024, namely: —

In the said notification, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: —

"(iv) supply of the following goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, on which retail sale price is declared : -

Table

S. No.	**Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item**	**Description of Goods**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation. - For the purposes of this clause, —

(a). "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess, by whatever name called;

(b). where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(c). where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d). where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.

(e). “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(f). the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this clause.”

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of February 2026.

File. No. Va.Kar/GST/02/2025]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide notification No. 49/2023-State Tax, dated the 29th February, 2024, published *vide* S.O. No. 53, dated the 29th February, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संo. 19/2025- राज्य कर

एस. ओ. सं. **54,** दिनांक **30 मार्च, 2026** ,झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 49/2023- राज्य कर, दिनांक 29 फरवरी, 2024 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 53, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) निम्नलिखित माल जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित है, की आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिया गया है और जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु के अंतर्गत आते हैं:—

तालिका

क्र. सं.	**अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क वस्तु**	**माल का विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ख) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।

(ङ) "शुल्क वस्तु", "शीर्षक", "उप-शीर्षक" और "अध्याय" का अर्थ क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क वस्तु, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय है;

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिनमें प्रथम अनुसूची की खंड और अध्याय की टिप्पणियां तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं, इस खंड की व्याख्या के लिए, जहां तक हो सके, लागू होंगे।"

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2025]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पणी:— मूल अधिसूचना संख्या 49/2023- राज्य कर, दिनांक 29 फरवरी, 2024 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस**.** ओ**.** सं. 53, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 124-- 50.

सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

12 CHAITRA 1948 (S)

No. 125

RANCHI THURSDAY 2nd April, 2026

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

2nd April, 2026

Notification No.- 20/2025 – State Tax

S.O. No. 55, Dated 30th March, 2026 :- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called as the Jharkhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from 1st day of February, 2026.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 31C, the following rule shall be inserted, namely: —

"**31D. Value of supply of goods on basis of retail sale price. -**(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value of supply of goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in

column (2), of the Table below, shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods, less the amount of tax as applicable, namely: -

Table

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

(2) The amount of applicable tax referred to in sub-rule (1) shall be determined in the following manner, namely: —

Tax amount = (Retail sale price X tax rate in % of applicable taxes) / (100+ sum of applicable tax rate).

Explanation. — For the purposes of this rule, —

(a) “applicable tax” means IGST or CGST or SGST or UTGST as the case may be.

(b) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess by whatever name called;

(c) where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d) where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(e) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.".

3. In the said rules, in rule 86B, in the first proviso, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) the registered person other than a manufacturer shall be exempted from the provisions of this rule only in respect of goods specified under rule 31D, on which the tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price:".

[File. No. Va.Kar/GST/02/2025]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28-State Tax, dated the 20th June, 2017, published and were last amended, *vide* notification No. 18/2025– State Tax, dated the 30th March, 2026 vide S.O. No. 53, dated the 30th March, 2026.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संo. 20/2025- राज्य कर

एस. ओ. सं. **55,** दिनांक **30 मार्च, 2026** -: झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) ये नियमावली 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (इसके बाद 'उक्त नियम' कहे गए हैं) में, नियम 31C के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"31D. खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की आपूर्ति का मूल्य।— (1) इस अध्याय के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिए गए विवरण वाले माल, जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क-वस्तु के अंतर्गत आते हैं, की आपूर्ति का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	**अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु**	**माल का विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:—

कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य × लागू करों की प्रतिशत दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लागू कर" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी) से है, जैसा कि मामला हो;

(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ङ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 86B में, प्रथम परंतुक में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) निर्माता के अलावा पंजीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31D के अंतर्गत निर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिन पर आपूर्तिकर्ता द्वारा खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर दिया गया है:"

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2025]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।

टिप्पणी:— मूल नियमावली झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस**.** ओ**.** सं. 28- राज्य कर, दिनांक 20 जून, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025– राज्य कर, दिनांक 30 मार्च, 2026 के माध्यम से एस**.** ओ**.** सं. 53, दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 125-- 50.